फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

अनिल / रामगोपाल

संख्या : धारा 36/2021

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	7/8/2023	पत्रावली [redacted] हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय [redacted] "अन्य राज कार्य के व्यस्त" है। अतः [redacted] नुसार दिनांक 21/8/2023 [redacted] पेश [redacted] (हस्ताक्षर)	
	21/8/2023	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ०उप०। वादी अधिवक्ता ने जाहिर किया की वो पुनः बहस प्रा०पत्र O7 R11 पर करना चाहते है। अतः उपरोक्त आ०ता० पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करें। पत्रावली वास्ते बहस हुक्म 25/8/2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	25/8/2023	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ०उप०। उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की प्रा०पत्र O7 R11 पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हुक्म 28/8/2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	28/8/2023	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ०उप०। प्रा०पत्र O7 R11 सीपीसी सपठित धारा-151 स्वीकार होने पर वादवादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर,

मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील शर्मा

आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 86 / 2021

अनिल शर्मा पुत्र स्व. सीताराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम विशनसिंहपुरा, डिडेलो की ढाणी, तहसील आमेर जिला जयपुर।

बनाम

1. राममोहाल शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय शर्मा जाति बागडा ब्राहमण निवासी 5 श्रीरामनगर ग्राम जयपुरा पोस्ट जगतपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. सीता देवी पत्नी कल्याण सहाय जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम जयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. श्यामलाल शर्मा पुत्र कल्याण सहाय जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम जयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. रूकमा देवी पत्नी छोटूराम जाति बागड़ा ब्राहमण निवासी ग्राम सरणा डूंगर तहसील जयपुर जिला जयपुर।
5. उपखंडीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

7. श्रीमती मनभर देवी पत्नी स्व. सीताराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम विशनसिंहपुरा, डिडेलो की ढाणी, तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. सुनील कुमार पुत्र स्व. सीताराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम विशनसिंहपुरा, डिडेलो की ढाणी, तहसील आमेर जिला जयपुर।
9. कमला देवी पत्नी स्व. मालीराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम विशनसिंहपुरा, डिडेलो की ढाणी, तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. रामावतार पुत्र स्व. मालीराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम विशनसिंहपुरा, डिडेलो की ढाणी, तहसील आमेर जिला जयपुर।
11. गोपाल पुत्र स्व. मालीराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम विशनसिंहपुरा, डिडेलो की ढाणी, तहसील आमेर जिला जयपुर।
12. हनुमान पुत्र स्व. मालीराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम विशनसिंहपुरा, डिडेलो की ढाणी, तहसील आमेर जिला जयपुर।

.....प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 7 नियम – 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति :– (1) श्री भगवानसहाय शर्मा अधिवक्ता – वादी की ओर से

(2) श्री अशोक कुमार शर्मा अधिवक्ता – प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या – 1 ता 3 की ओर से

दिनांक :– 28.08.2023

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

निर्णय

न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन उपरोक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से 15.02.2022 को एक प्रार्थना पत्र बाबत निरस्तीकरण वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बिशनसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 218 रकबा 2.25 हेक्टे, 219 रकबा 1.97 हेक्टे, 220 रकबा 0.23 हेक्टे, 222 रकबा 0.78 हेक्टै, 223 रकबा 4.82 हेक्टे, कुल किता 5 रकबा 10.5 हेक्टै, के बाबत यह कहते हुए वाद पेश किया है कि उक्त आराजीयात में वादी का 1/3 हक, हिस्सा है जो वादी के पिता की सम्पति होने से है। एवं वादी ने इन्ही आराजीयात के बाबत घोषणा का वाद न्यायालय में पेश किया है। वादी ने नामान्तकरण संख्या 84 दिनाकँ 04.11.04, नामान्तकरण संख्या 231 दिनांक 22.02.13, नामान्तकरण संख्या 326 दिनांक 05.11.14, नामान्तकरण संख्या 338 दिनांक 14.07.15 नामान्तकरण संख्या 373 दिनांक 03.06.16 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने का वाद भी न्यायालय में पेश किया है। वादी ने अपने वाद में स्वंय ने स्वीकार किया है कि वादी के पिता सीताराम पुत्र जीवण ने अपने जीवनकाल में भिन्न–भिन्न विक्रय पत्रो के आधार पर आराजी का बेचान किया है। एवं समस्त खातेदारी की आराजीयात सीताराम की थी, उसमें बने मकानात, बोरिंग, बिजली कनेक्शन सहित को वादी के पिता सीताराम ने विक्रय पत्रो से विकय प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि वादी ने ग्राम बिशनसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 218 रकबा 2.25 हेक्टे, 219 रकबा 1.97 हेक्टे, 220 रकबा 0.23 हेक्टे, 222 रकबा 0.78 हेक्टै, 223 रकबा 4.82 हेक्टे, कुल किता 5 रकबा 10.5 हेक्टै, के बाबत यह कहते हुए वाद पेश किया है कि उक्त आराजीयात में वादी का 1/3 हक, हिस्सा है जो वादी के पिता की सम्पति होने से है। एवं वादी ने इन्ही आराजीयात के बाबत घोषणा का वाद न्यायालय में पेश किया है। वादी ने नामान्तकरण संख्या 84 दिनाकँ 04/11/04, नामान्तकरण संख्या 231 दिनांक 22/02/13, नामान्तकरण संख्या 326 दिनांक 05/11/14, नामान्तकरण संख्या 338 दिनाकँ 14/07/15 नामान्तकरण संख्या

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

दिनाक 03/06/16 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने का वाद भी न्यायालय में पेश किया है । वादी ने अपने वाद में स्वंय ने स्वीकार किया है कि वादी के पिता सीताराम पुत्र जीवण ने अपने जीवनकाल में भिन्न–भिन्न विक्रय पत्रो के आधार पर आराजी का बेचान किया है। एवं समस्त खातेदारी की आराजीयात सीताराम की थी, उसमें बने मकानात, बोरिंग, बिजली कनेक्शन सहित को वादी के पिता सीताराम ने विक्रय पत्रो से विकय कर दिया एवं विक्रय पत्रो के आधार पर विधिक कब्जा सीताराम के जीवनकाल में ही क्रेतागण का हो गया। वादी के पिता स्वत्र सीताराम ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनाकॅ 21/04/16 एवॅ 13 मई 15 एवं 04/11/08, एवॅ 04/03/14 के जरिये भूमि का बेचान कर दिया। जिसका ज्ञान वादी व वादी के भ्राता सुनील एवं माता मनभर देवी को प्रारम्भ से ही है। यॅ समस्त विक्रय विलखो में वादी के भ्राता सुनील व परिवारजनो के गवाह में हस्ताक्षर है। एवॅ वादी की माता मनभर देवी, सुनील एवं वादी ने किसी भी प्रकार से नामान्तकरण को चेलेन्ज नहीं किया है। क्योकि वादी को सदैव से विकय विलेखो का ज्ञान रहा है । 5. यह कि वादी एवॅ मिन प्रतिवादीगण एक ही समाज के व्यकित है। एवॅ वादी के पिता ने वादग्रस्त आराजीयात का बेचान करने के पश्चात एक वर्ष के लिए इस कृषि भूमि को बा जोत के लिए 30,000 रूपये ठेके पर लिया था, जिसका विधिवत इकरारनामा भी वादी के पिता ने निष्पादित किया एवॅ मिन प्रतिवादी गण ने सच्चे स्वामी की हैसियत से वादी के पिता का खरीदसुदा आराजी में स्थित मकानात में रहने के लिए बतोर केयर टेकर नोकर की हैसियत से दिया चूकि मिन प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात से 60 – 70 कि.मी. दूर रहते है । इस वजह से मिन प्रतिवादीगण ने वादी के पिता को बतोर केयरटेकर के रूप में मकानात को रहने के लिए वादी के पिता को दिया, जबकि 'मिन प्रतिवादीगण ने आराजी को कय करने के पश्चात मकानात ठीक कराने व भूमि को समतल व उपजाउ कराने व तारबन्दी कराने में करीब 20 लाख रूपये से ज्यादा का खर्चा किया । एवं सीताराम का स्वर्गवास आज से 4–5 साल पूर्व हो गया तो वादी के भ्राता व माता को मिन प्रतिवादीगण ने मकानात आराजी में बने हुए में रहने की इजाजत सामाजिक व्यक्ति होने के नाते केयरटैकर/नोकर के रूप में वादी व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को दी किन्तु वादी व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के मा

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

में बेईमानी आने पर मिन प्रतिवादीगण ने अपनी आराजी किसी दिगर व्यक्ति को ठेके पर देने से वादी व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 नाराज हो गये एवं अपराधिक कृत्य मिन प्रतिवादीगण के साथ किया जिस पर अपराधिक परिवाद पुलिस थाना हरमाडा जयपुर में दर्ज कराया गया एवं मिन प्रतिवादी [illegible] 1 ने विधिवत मकानात से बेदखल करने के लिए वाद सिविल [illegible] एवं महानगर मजिस्ट्रेट चौमू जयपुर महानगर पश्चिम में [illegible] बाबत [illegible] कब्जा, हर्जा इस्तेमाली, अन्तःकालीन लाभ व स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के विरूद्ध पेश कर रखा है। एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 मिन प्रतिवादीगण से नाजायज रकम प्राप्त करने की बदनियति से बिना किसी काजआफेक्सन के मियाद बाहर व बिना क्षैत्राधिकार के [illegible] व प्रार्थना पत्र पेश किया है। 6. यह कि वादी स्वंय ने स्वीकार किया [illegible] कि विक्रय पत्र 2016 व 2008 के मध्य के है जिनके बाबत किसी भी [illegible] आपत्ति न तो वादी के पिता ने की, न ही वादी एवं प्रतिवादी [illegible] की एवं सिविल वाद तीन साल में पेश नही किया है। मियाद बाहर [illegible] ने माननीय न्यायालय में पेश किया है। इस वजह से वादी का वाद [illegible] किये जाने योग्य है। 7. यह कि स्व० सीताराम द्वारा बेचान किये गये अपने सम्पूर्ण हिस्से के पश्चात राजस्व रिकार्ड में भी मिन प्रतिवादीगण का अंकन हो चुका है। जिसके बाबत किसी भी प्रकार की आपत्ति वादी व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने नहीं की है। इस वजह से मिन प्रतिवादीगण [illegible] की हैसियत से आराजी पर काबिज काश्त है । एवं विक्रय पत्र [illegible] किसी भी प्रकार का सिविल वाद वादी व प्रतिवादी संख्या 7 [illegible] [illegible] नहीं कर रखा हैं इस वजह से किसी भी प्रकार से [illegible] श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद श्रवणाधिकार के अभाव में व मियाद बाहर होने की वजह से व राजस्व रिकार्ड वादी व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के नाम न होने के आधार पर खारीज [illegible] जावे।

[illegible] प्रार्थना पत्र [illegible]

[illegible] जवाब पेश किया, प्रतिवादी को [illegible] उपलब्ध करवाई [illegible] संक्षिप्त [illegible] इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या [illegible]

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष ग्राम बिशनसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद पत्र के मद संख्या 4 मे वर्णित आराजीयात् जो कि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक आराजी मे हिस्सा 1/3 के खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना स्वीकार है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कथन वादी द्वारा वादपत्र नामान्तकरण संख्या 84, 231, 338, 373, को प्रभावशून्य कलम [illegible] अंकित किया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तहरीर तकमील किया गया है, अस्वीकार है। वादी ने वादपत्र की मद संख्या 8 मे यह स्पष्ट अंकित किया है कि वादी एवं प्रारूपिक प्रतिवादी संख्या 8 की संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैत्रिक आराजीयात का विक्रय वादी एवं प्रारूपिक प्रतिवादी संख्या 8 के पिता व 7 के पति स्व. सीताराम पुत्र जीवण ने अलग–अलग विक्रय पत्र द्वारा अपने में निहित हिस्से से अधिक का प्रस्तुत है:– प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को बिना हक व अधिकार के कर दिया। वादी एवं प्रारूपिक प्रतिवादी संख्या 8 के पिता को पैत्रिक विवादग्रस्त आराजी में अपने में निहित हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय करने का कानूनी अधिकार नही था, विकय पत्र मे वादी एवं प्रारूपिक प्रतिवादी संख्या 8 की सहदायिकी संपत्ति का किया गया विक्रय प्रारम्भ से ही प्रभावशुन्य है तथा विक्रय पत्रो के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 4.11.2004, नामान्तरकरण संख्या 231 दिनांक 22.02.2012 नामान्तकरण संख्या 292 दिनांक 22.02.2013, नामान्तकरण संख्या 32[illegible] दिनांक 05. 12.2014, नामान्तरकरण संख्या 338 दिनांक [illegible].2015, नामान्तरकरण संख्या 373 दिनांक 03.06.2016 नल एण्ड वोईड है, जिससे क्रेता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को विवादग्रस्त कृषि भूमि में वादी के पिता स्व. सीताराम पुत्र जीवण को सहदायिकी सम्पति में निहित हिस्सा 1/12 से अधिक कोई हक व अधिकार उत्पन्न नही होते है। [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का यह कथन गलत है कि [illegible] आधार पर उनका कब्जा विवादग्रस्त भूमि पे है। प्रार्थना [illegible] में वर्णित कथन कि वादी के पिता स्व. सीताराम द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र की जानकारी वादी को प्रारम्भ से होने का कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है, बल्कि उक्त पत्रों की जानकारी वादी को प्रतिवादी संख्या

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

1 लगायत 4 वादी की पैत्रक संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित कब्जे काश्त की विवादग्रस्त भूमि में येन केन प्रकारेण कब्जा करने एवं अपने नाम खातेदारी दर्ज होने के आधार पर विवादग्रस्त को खुर्द-बुर्द करने पर आमदा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 भूमि पर आकर स्वयं के नाम के खातेदारी होने की व भूमि ने दिनांक 19.09.2021 को विवादग्रस्त को खुर्द बुर्द एवं कब्जा करने की धमकी दी, जिस पर वादी ने संपूर्ण राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ की तथा इसी दौरान सम्बंधित पुलिस थाना हरमाडा मे प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 द्वारा झूठा इस्तगासा पेश किया, जिस पर पुलिस थाना हरमाडा दिनांक 30.09.2021 वादी को उसकी पैत्रिक संयुक्त कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि से बेदखल करने के लिये मौके पर आये। इस प्रकार वादी को उक्त राजस्व रिकार्ड की जानकारी होने पर वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण का उक्त मद मे वर्णित कथन कि वादी के भाई बतौर गवाह विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर होने से कानूनन वादी के विधिक अधिकारो पर कोई प्रभाव नही पडता है और ना ही वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सहदायिकी सम्पति मे निहित अधिकारों पर उक्त विक्रय पत्र व नामान्तकरण का विधिक प्रभाव वादी के हितो पर प्रतिकूल पडता है। वादी द्वारा [illegible] नामान्तकरण को प्रश्नगत किया है। ऐसी स्थिति मे प्रतिवादीगण का उक्त मद मे वर्णित कथन की वादी ने उक्त भूमि विवादग्रस्त मे प्रतिवादीगण के नाम स्वीकृत नामान्तकरण को चुनौती नही दी है, गलत होने के कारण अस्वीकार है। अन्यथा भी नामान्तकरण भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकृत किया जाता है। वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत वाद प्रस्तुत किया है। भू राजस्व अधिनियम के तहत कि गई कार्यवाही नियमित वाद पर अभिभावी नही होती है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 मे वर्णित कथन जिस प्रकार से तहरीर एवं तकमील किये गये है गलत होने के कारण अस्वीकार है। प्रतिवादी ने उक्त मद मे वर्णित सम्पूर्ण कथन [illegible] बेबुनियादी मनगन्ढत अंकित किये है । वादी अपनी सहदायिकी सम्पति मे काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि मे कोई कब्जा काश्त नही है। विवादग्रस्त भूमि मे वादी अपने रिहायश हेतु मकान बनाकर आबाद है। प्रतिवादीगण ने उक्त मद मे केयर टेकर के रूप मे मकान

सहायक कलक्टर
आमेर जयपुर

मे रहने का कथन गलत अंकित किया है। वादी का वाद माननीय न्यायालय के समक्ष क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है तथा वादकारण उत्पन्न होने पर लिखित रूप से प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में घोषणा का वाद प्रस्तुत करने हेतु मियाद का प्रावधान नही है। वादकारण तथ्यों एवं साक्ष्य का मिश्रित बिन्दु है जो तनकीयात कायम कर पक्षकारान् के साक्ष्य लिये जाने के बाद ही निर्णय किया जाना वाला बिन्दु है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादी को राजस्व रिकार्ड की जानकारी होने पर दिनांक 05.10.2021 को उक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसका विस्तृत जवाब पूर्व के मदो मे दिया जा चुका। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तहरीर एवं तकमील किया गया है गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादी को राजस्व भू अभिलेखो मे प्रतिवादीगण के नाम राजस्व भू अभिलेख दर्ज होने की जानकारी होने पर वादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त उनवानी वाद उनवानी वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर दिया। जिसका श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त

प्रतिवादी अधिवक्ता ने फोटो प्रति विक्रय पत्र वहक प्रतिवादी रामगोपाल, विक्रय पत्र वहक प्रतिवादी श्याम शर्मा, विक्रय पत्र वहक सीतादेवी, जमाबंदी 03.10.13, फोटोकॉपी विधिक नोटिस द्वारा प्रतिवादी दिनांक 08.12.21 पेश किया तथा न्यायिक दृष्टांत AIR 2006 SUPREME COURT 3608. AIR 2012 KARNATAKA 107. 2021(2)WLC (SC) Civil 533 SUPREME COURT OF INDIA. 2021(1) RRT 271. 2021(2) RRT 1477 SUPREME COURT. 2014 WLC (Raj) UC 504. पेश किया।

वादी ने न्यायिक दृष्टांत 2016 (3) ... CIVIL (SC) PAGE 762 R.K. ROJA V/S U.S. RAYUDU & ANR., RBJ (10) 2005 PAGE 158 BALDEV SINGH V/S KULDEEP SINGH. RRT 2014 (1) PAGE 101 RAJENDRA SINGH V/S RAKKUMARI. 2019 (1) WLC (SC) PAGE 357 PYARELAL V/S SHUBHENDRA PILANIA. 2019 (1) WLC (RAJ.) UC PAGE 448 SMT. GEETA DEVI & ORS. V/S PUSHAP CHAND. 2019 (RRJ). 529 BAGARAM V/S BALKRISHAN RBJ (26) 2019 PAGE 356 NAND KISHORE V/S BRAHAMDUTT पेश किये।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस, प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। बहस व वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने वादपत्र मे स्वीकार किया है कि संपत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की थी जिसे वादी के पिता स्वं सीताराम ने घरेलू व पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति (जोकि विक्रय पत्र में स्पष्ट अंकित है) के लिऐ अलग–अलग पंजीकृत विक्रय पत्रा दिनाकॅ 21/04/16 एवं 13 मई 15 एवं 04/11/08, एवं 04/08/14 के जरिये भूमि का बेचान कर दिया। विक्रय पत्रो पर गवाह के रूप में वादी के भ्राता सुनील के हस्ताक्षर है जिससे स्पष्ट है कि वादी एवं वादी के परिवार के सदस्यों को उक्त विक्रय पत्रों व बेचान की शूरू से जानकारी थी इसलिए Cause of action arise नहीं होता है। तथा वादी के पिता ने उक्त संपत्ति का बेचान अपने जीवनकाल में ही जरिये पंजीकृत विकय पत्रों के माध्यम से कर दिया था इसलिए आज वादी का उक्त संपत्ति पर कोई अधिकार शेष नहीं रह जाता है।

इसके अलावा पंजीकृत विकय पत्रो को आज दिनांक तक किसी सक्षम न्यायालय में चैलेन्ज नही किया गया। इस प्रकार पंजीकृत विक्रय पत्र आज दिनांक तक प्रभावी है। रजि0 विक्रय पत्र के संबध में सुनवाई व उसे शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय सिविल न्यायालय को है, जिस पर न्यायिक दृष्टांत RRT 271 (2020)1, 2018 (2) WLV (SC) CIVIL PAGE 412 व R2019(2) RJT 1418 सीधे चस्पा होते है। अतः वादीगण का वाद कानूनी प्रावधानों के अनुसार वर्जित होने के कारण खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बार्ड बाई लॉ (Barred by Law) सावित होने व वादकरण उत्पन्न (Cause of action) नहीं होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आबू रोड